उपखण्ड अधिकारी
करौली

दिनांक	कार्यवाही
2/4/18	श्री मान SDM साहब के अवकाश पर होने के कारण आज दिनांक 2/4/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 29/5/18 को की जावेगी। [illegible]
24/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शि०(?) कैम्प कोर्ट सापपुर पर प्रस्तुत हुयी उभय पक्ष उपस्थित। हस्ताक्षर करने हेतु कार्य किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयान ने यह प्रार्थना पत्र ख०नं० 14812 व ख०नं० 14813 के मध्य मे होकर ख०नं० 14814 ग्राम आनन्दगढ़ तह० करौली मे काश्त के लिये रास्ता 15 फुट चौडा कायम कर दिलाये जाने का निवेदन किया गया है। ख०नं० 14814 ग्राम आनन्दगढ़ प्रार्थीयान के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। ख० ख०नं० 14812 व 14813 ग्राम आनन्दगढ़ तह० करौली अप्रार्थीगण के खातेदारी की है। ख०नं० 14813 व ख०नं० 14812 के मध्य स्थित होकर डोल से सटा हुआ करौली से सापपुर जाने वाला आम रास्ता लगा हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि को आमदरफ्त का एक मात्र रास्ता ख०नं० 14812 व 14813 की डोल पर ही होकर है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीयान को उपलब्ध नही है। इस सम्बन्ध मे प्रार्थीयान ने जमाबन्दी सम्वत 2069-72 व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। जिसका अप्रार्थीगण ने खण्डन करते हुये कथन किया है कि अप्रार्थीगण की भूमि की डोल पर होकर कोई रास्ता प्रार्थीगण का नही है। प्रार्थीयान को 15 फुट चौडाई के रास्ता की कोई आवश्यकता नही है।

अपी 421-26 30-4-18

[illegible]
[illegible]
कैम्प सहायक

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अदी 421-26 30.4.18		धारा 251A RTAct के तहत प्रार्थनापत्र विहित प्रोफार्मा मे प्रार्थीयान ने प्रस्तुत नही किया है। स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता दावा मे ही दी जा सकती है। धारा 251A RTAct के तहत स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थीयान को पहिले से ही सुलभ रास्ता उपलब्ध है। जहां से प्रार्थीयान का आमद रफ्त है। प्रार्थीयान इस प्रार्थना पत्र की आड मे नवीन रास्ता निकलना चाहते है। जो संभव नही है। प्रार्थीयान का अप्रार्थीयान की डोल के मध्य से कोई रास्ता खं. नं. 14812 व 14813 नही है। न कभी रहा है न अब है। प्रार्थीयान जिस भूमि को रास्ता बनाना चाहते है वह कृषि भूमि नही है वह भूमि सीमेन्ट पोल फैक्ट्री हेतु औद्योगिक संपरिवर्तन दिनांक 30/7/12 को हो चुकी है। अन्त मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी नं. 6 से मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट मे फर्द मौका पत्र क्रमांक LR/18/77 दिनांक 25/5/18 का अवलोकन किया गया और शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थी नं. 6 तहसीलदार करौली ने अपनी मौका रिपोर्ट मे खं. नं. 14812 व 14813 के मध्य मौके पर कोई रास्ता नही होना न ही उपयोग लिया जाना और मुख्य सडक गुनेसरी से भी खं. नं. 14812 व 14813 की मेड तक कोई रास्ता नही होना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व मौका रिपोर्ट तहसीलदार करौली के अवलोकन	

से ही सुलभ रास्ता उपलब्ध है जो से
प्रार्थीगण के आवागमन हेतु है। प्रार्थीगण इस
प्रार्थना पत्र की आड़ में नवीन रास्ता निकालना
चाहते है। जो संभव नही है। प्रार्थीगण का
अप्रार्थीगण की डोल के मध्य से कोई रास्ता
ख०नं० 14812 व 14813 नही है। न कभी रहा
है न अब है। प्रार्थीगण जिस भूमि को रास्ता
बनाना चाहते है वह कृषि भूमि नही है
वह भूमि सीमेन्ट पोल फैक्ट्री हेतु औद्योगिक
संपरिवर्तन दिनांक 30/7/12 को हो चुकी है
अन्त मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज
किये जाने का निवेदन किया गया है
अप्रार्थी नं. 6 से मौका रिपोर्ट तलब की गई
मौका रिपोर्ट मे फर्द मौका पत्र मय मौका
LR/18/77 दिनांक 24/5/18 का अवलोकन
किया गया और शामिल पत्रावली की गयी।
अप्रार्थी नं. 6 तहसीलदार करौली ने अपनी
मौका रिपोर्ट मे ख०नं० 14812 व 14813 के
मध्य मौके पर कोई रास्ता नही होना न ही
उपयोग लिया जाना और मुख्य सडक गुनेसरी
से भी ख०नं० 14812 व 14813 की मेड तक
कोई रास्ता नही होना बताया गया है

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड
व मौका रिपोर्ट तहसीलदार करौली के अवलोकन
से ख०नं० 14812 व 14813 मे होकर ख०नं० 14814
को कोई रास्ता आवागमन नही रहा है। ख०नं०
14813 मे से 1250 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण
औद्योगिक दिनांक 30/7/12 को उप जिला
कलेक्टर करौली के द्वारा किया जा चुका है
ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा
वरंग सुर्ख भूमि जिसे रास्ता बताया है वह

पैनल सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[signature] वैन्न्य सहलत [signature] 24/5/18 [signature] वैन्न्य सहलत 24-5-18	किसी भी खं.नं. से रास्ते के रूप मे लिंक भी नही कर रखी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ अपूर्ण नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमे करौली से सापपुर जाने वाली सड़क को भी नही दर्शाया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान तत्यहीन व सारहीन होने से चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण रास्ते के संबंध मे पुनः अलग से विधिवत प्रार्थना पत्र या वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] 24/5/18. उपखण्ड अधिकारी करौली	